भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **3551**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 मार्च, 2025/30 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों की आपूर्ति और मूल्य विनियमन

3551. श्री छोटेलाल:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में उर्वरकों की आपूर्ति और मूल्य विनियमन सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष योजना बनाई है; और
(ख) यदि हां, तो किसानों को उर्वरक की सस्ती और पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या विभिन्न कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:-

i. प्रत्येक फसल मौसम के प्रारंभ होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।
ii. अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरकों की पर्याप्त मात्राओं का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।
iii. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है;
iv. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि अधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों से प्राप्त सूचनानुसार उर्वरकों को भेजने की सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

इसके अतिरिक्त, यूरिया सब्सिडी स्कीम के तहत वहनीय मूल्यों पर यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में इसे सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। यूरिया की 45 किग्रा बोरी की एमआरपी 242 रुपए प्रति बोरी (नीम लेपन के प्रभार और यथा लागू करों को छोड़कर) है। फार्म गेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार प्राप्ति के बीच के अंतर को भारत सरकार द्वारा यूरिया उत्पादक/आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है।

इसके अलावा, सरकार ने फास्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए दिनांक 01.04.2010 से पोषकतत्व आधारित सब्सिडी नीति कार्यान्वित की है। इस नीति के अंतर्गत, अधिसूचित पीएण्डके उर्वरकों पर उनकी पोषकतत्व मात्रा के अनुसार वार्षिक/अर्ध-वार्षिक आधार पर तय की गई सब्सिडी की एक नियत राशि प्रदान की जाती है। पीएण्डके क्षेत्र विनियंत्रित है और उर्वरक कंपनियों को तर्कसंगत स्तरों पर एमआरपी निर्धारित करने की अनुमति है। उर्वरक कंपनियां बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार उर्वरकों का उत्पादन/आयात करती हैं। सरकार प्रमुख उर्वरकों और कच्चे माल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की निगरानी करती है और किसानों को पीएंडके उर्वरकों की वहनीय कीमतों पर आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु पीएण्डके उर्वरकों के लिए वार्षिक/अर्ध-वार्षिक आधार पर एनबीएस दरें निर्धारित करते समय उतार-चढ़ाव, यदि कोई हो, को सम्मिलित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, हाल ही में भू-राजनीतिक संकट कारण जिससे उर्वरकों की आपूर्ति में बड़ा व्यवधान पैदा, हुआ खरीफ 2024 में किसानों को पीएंडके उर्वरकों की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लि, सक्रिय कदम उठाए गए। जुलाई 2024 में, सरकार ने दिनांक 01.04.2024 से 31.12.2024 तक की अवधि के लिए एनबीएस दरों के अतिरिक्त 3500 प्रति मीट्रिक टन की दर से डीएपी पर एकबारगी विशेष पैकेज के माध्यम से नियमित आयातों को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपाय किए, जिसे किसानों को वहनीय कीमत पर डीएपी की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अब दिनांक 31.03.2025 तक बढ़ा दिया गया है।

****